सी20 चौपाल : बाल देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता पर सामुदायिक चर्चा

सामुदायिक माँग-पत्र

शिशुगृह

- प्रत्येक ग्राम पंचायत, शहरी बस्ती, निर्माण स्थल, मनरेगा स्थल और आस-पास के स्थानों पर जहाँ अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक रहते हैं या काम करते हैं, क्रेच/ शिशुगृह स्थापित किए जाने चाहिए

- आँगनबाड़ी केन्द्र में अतिरिक्त स्टाफ के साथ स्थानीय लोगों के कार्य समय के अनुसार 08 घंटे के लिए आँगनबाड़ी केन्द्र उपलब्ध होना चाहिए या स्थानीय स्तर पर क्रेच उपलब्ध होना चाहिए|

पोषण

- पूरक आहार के रूप में स्थानीय एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना चाहिए,

- कुपोषित बच्चों का नियमित चिन्हीकरण किया जाना चाहिए

सी20 चौपाल : बाल देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता पर सामुदायिक चर्चा

सामुदायिक माँग-पत्र

आँगनबाड़ी में सेवाएँ

- आँगनबाड़ी केन्द्र में आवश्यक सेवाओं यथा पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, बैठने की व्यवस्था, खिलौने, केंद्र का रख-रखाव, क्रियाशील शौचालय, स्वच्छता आदि की उपलब्धता
- गुणवत्तापूर्ण पोषाहार की नियमित उपलब्धता
- नियमित टीकाकरण एवं वृद्धि निगरानी
- गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को परामर्श सेवा
- स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा

शाला-पूर्व शिक्षा

- बच्चों के समग्र विकास (शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-भावनात्मक और सांस्कृतिक) के लिए बाल देखभाल सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण शाला पूर्व शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों का नियमित आयोजन।
- बच्चों के साथ विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन।
- बच्चों में अच्छी आदतों को प्रोत्साहित करने की पहल करना।

सी20 चौपाल : बाल देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता पर सामुदायिक चर्चा

सामुदायिक माँग-पत्र

देखभाल-कार्यकर्त्ता

- आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और बच्चों की देखभाल कार्यकर्ताओं को बच्चों की देखभाल के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाना चाहिए।
- सीमावर्ती कार्यकर्त्ताओं का पारिश्रमिक बढ़ना चाहिए।
- सीमावर्ती कार्यकर्त्ताओं के पारिश्रमिक का नियमित भुगतान होना चाहिए।

आधारभूत संरचना

- आँगनबाड़ी केन्द्र का बुनियादी ढाँचा बाल अनुकूल होना चाहिए। इसमें बच्चों के खेलने के लिए खुली जगह, चारदीवारी, किचन गार्डन, बच्चों की पहुँच स्तर पर हाथ धोने की इकाई (हैंडवाशिंग यूनिट), पर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन आदि शामिल होना चाहिए।
- आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित सरकारी भवन में होना चाहिए।
- किराये के भवनों में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों के किराये का ससमय भुगतान किया जाना चाहिए।
- आँगनबाड़ी केन्द्र समुदाय की पहुँच में होना चाहिए|

सी20 चौपाल : बाल देख-रेख सेवाओं की उपलब्धता पर सामुदायिक चर्चा

सामुदायिक माँग-पत्र

सरकारी योजनाएँ

- सरकारी योजनाओं जैसे एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), जन्म पंजीकरण, पालना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि पर आम जन-जागरूकता विभिन्न माध्यमों यथा नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, स्थानीय गीत आदि के माध्यम से नियमित रूप से की जानी चाहिए।

- योजनाओं तक लाभुक वर्ग की आसानी से पहुँच होनी चाहिए ताकि अधिकाधिक महिलाओं और छोटे बच्चों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके।

JHARKHAND FORCES
Secretariat: Child In Need Institute (CINI)

Child In Need Institute (CINI)
Ishwari Nikatan, 3rd Floor, New Alkapuri, Dibdih,
P.O.:+ P.S: Doranda, Besides Divyani Motors,
Above Sahara India Office, Ranchi, Pin - 834 002, Jharkhand, India
Email: jharkhandforces@gmail.com